रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 1975/श्रावण 29, 1897
No. 229] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 1975/SRAVANA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDERS

New Delhi, the 20th August 1975

GSR. 448(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendments in Part II of the First Schedule to the said Act, with effect from the expiration of sixty days from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

(a) Under the heading "Eastern Group", after the existing entries relating to the District of Tinnevelly, the following entries shall be inserted, namely:—

Name of Port		Vessels Chargeable	Rate of Port dues	Due how often chargeable in respect of same vessel
1		2	3	4
District/Port "Tinnevelly	New Tuticorin	Sea going vessels of fifteen tons and upwards.	*Foreign Vessels*: (a) In the case of foreign ship or steamer engaged in trade with the straits settlements or Ceylon calling at the port of New Tuticorin not exceeding one Rupee and fifty paise a ton.	The payment of the dues at the Port will exempt the ship or steamer for a period of thirty days from liability to pay the dues again at that Port.

1	2	3	4
		(b) In the case of any other foreign ship or steamer calling at the port of New Tuticorin not exceeding one Rupees and fifty paise a ton,	The dues are payable on each entry into the Port.
		Coasting Vessels :	
		(c) In the case of coasting ship or steamer calling at the port of New Tuticorin not exceeding one Rupee and fitfy paise a ton.	The payment of the dues at the Port will exempt the ship or steamer for a period of thirty days from liability to pay the dues again at that Port.
		(d) Tugs, Launches, Inspection launches etc. not included above not exceeding one Rupee and fifty paise a ton.	The dues are payable once in sixty days."

(b) under the heading "Explanations to Part II of the First Schedule", in *Explanation* 1, in clause (bb) after the word "Madras" wherever it occurs, the words; "New Tuticorin" shall be inserted.

[No. PGR-91/75-I]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1975

आदेश

सा० का० नि० 448 (अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

(क) 'पूर्वी समूह" शीर्षक के अधीन तिनावली जिले से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान पर शुल्क कितनी बार प्रभार्य है
1	2	3	4
"जिला तिनावली पत्तन तूतीकोरिन	नव पन्द्रह टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान	**विदेशी जलयान** (क) नव तूती कोरिन पत्तन पर आने वाले, जल डमरुमध्य उपनिवेशों या श्रीलंका के साथ व्यवसाय-रत विदेशी पोत या स्टीमर की दशा में अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसे प्रति टन ।	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने पर पोत या स्टीमर से उस पत्तन पर तीस दिन तक पुनः शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

1	2	3	4
		(ख) नव तूतीकोरिन पत्तन पर आने वाले किसी अन्य विदेशी पोत या स्टीमर की दशा में, अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसे प्रति टन ।	पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेश पर शुल्क देय है ।
		तटवर्ती जलयान	
		(ग) नव तूतीकोरिन पत्तन पर आने वाले तटवर्ती पोत या स्टीमर की दशा में अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसे प्रति टन ।	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने पर पोत से पत्तन पर 30 दिन तक पुन: शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
		(घ) नव तूतीकोरिन पत्तन पर आने वाले तटवर्ती स्टीमर की दशा में, अधिक से अधिक एक रुपया 50 पैसे प्रति टन ।	शुल्क 30 दिन में एक बार देय है ।
		(ङ) कर्णनावों (टग) लांचों, निरीक्षण- लांचों आदि की दशा में, जिन्हें ऊपर सम्मिलित नहीं किया गया है, अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसे प्रति टन ।	शुल्क साठ दिन में एक बार देय है " ।

(ख) स्पष्टीकरण में

(ख) "प्रथम अनुसूची के भाग 2 के स्पष्टीकरण" शीर्षक के अन्तर्गत, स्पष्ट करण 1 में, खण्ड (खख) में, "मद्रास" शब्द के पश्चात् " नव तूतीकोरिन" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० पा० जी० आर० 91/75-I]

G.S.R. 449 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 33 of the Indian Port Acts, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of 60 days from the date of publication of this order in the Official Gazette, port dues shall be levied, on vessels entering the Port of New Tuticorin and described in the first column of the Schedule below, at the rates specified in the second column thereof and at the times fixed in the third column of the said Schedule.

SCHEDULE

Vessels chargeable (sea-going vessels of 15 tons and upwards)	Rate of Port-dues per ton	Frequency of payment in respect of the same vessel
(1)	(2)	(3)
I. Foreign Vessels—	Re. Paise	
(a) Vessels engaged in trade with the straits settlements or Ceylon.		
(i) Ships	1·50	The due is payable on each entry into the port.
(ii) Steamers . . .	1·50	
II. Coasting Vessels—		
(i) Ships	1·00	The payment of the due at the port will exempt the ship for a period of sixty days from liability to pay the due again.
(ii) Steamers . . .	1·00	The due is payable once in sixty days, provided that the payment of the due once made shall be valid only for three entries into the port (including the entry on which the payment was made) during the said period of sixty days.

Exceptions:—

(a) Vessel entering the Port of New Tuticorin in ballast and not carrying passengers shall be charged with the port dues at three-fourth of the port dues.

(b) Vessels entering the Port of New Tuticorin but not discharging or taking in any cargo or passenger (for purpose of repair) shall be charged with half of the port dues.

[No. PGR-91/75-II]

सा० का० नि० 449 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के ठीक अगले दिन से नव तूतीकोरिन पत्तन में प्रविष्ट होने वाले तथा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित जलयानों पर, उसके स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में नियत समयों पर, पत्तन शुल्क उद्गृहीत होगा, अर्थात् :—

अनुसूची

प्रभार्य जलयान (15 टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान)	प्रति टन पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान पर शुल्क कितनी बार प्रभार्य है।
1	2	3
I. विदेशी जलयान	रु० पैसे	
(क) खाड़ी की बस्तियों या लंका के साथ व्यापार में लगे जलयान		
(i) पोत	1.50	पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेश पर शुल्क देय है।
(ii) स्टीमर	1.50	

1	2	3
II. तटवर्ती जलयान :		
(i) पोत	1.00	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने पर पोत से साठ दिन तक पुनः शुल्क नहीं लिया जाएगा।
(ii) स्टीमर	1.00	शुल्क साठ दिन में एक बार देय है परन्तु शुल्क का एक बार किया गया संदाय साठ दिन की उक्त अवधि के दौरान, पत्तन में केवल तीन बार प्रवेश के लिये (जिसमें वह प्रवेश भी सम्मिलित है, जिस पर संदाय किया गया था) विधि मान्य है।

अपवाद

(क) नव तूतीकोरिन पत्तन पर बेलास्ट सहित प्रवेश करने वाला और यात्री न ले जाने वाले जलयान पर उस दर के जो उस पर अन्यथा प्रभार्य होती, तीन चौथाई पत्तन शुल्क से प्रभारित किया जाएगा, और

(ख) जब कोई जलयान नव तूतीकोरिन पत्तन में (सिर्फ मरम्मत के लिए) प्रवेश करता है, किन्तु वहां न कोई स्थोरा या यात्री उतारता या लादता है तो उस पर शुल्क का आधा प्रभार्य होगा।

[सं० पी० जी० आर०-91/75/II]

GSR. 450 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendments in Part II of the First Schedule to the said Act, with effect from the expiration of sixty days from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

(a) under the heading "Western Group", after the existing entries relating to the District of South Canara, the following entries shall be inserted, namely :—

Name of Port	Vessels chargeable	Rate of Port dues	Due how often chargeable in respect of same vessel
(1)	(2)	(3)	(4)
District/Port		*Foreign Vessels* :	
"South Canara 105 New Mangalore.	Sea going vessels of fifteen tons and upwards.	(a) In the case of foreign ship or steamer engaged in trade with the straits settlements or Ceylon, calling at the port of New Mangalore, not exceeding One Rupee and fifty paise a ton.	The payment of the dues at the port will exempt the ship or steamer for a period of thirty days from liability to pay the dues again at that Port.

(1)	(2)	(3)	(4)
		(b) In the case of any other foreign ship or steamer calling at the Port of New Mangalore not exceeding one Rupee and fifty paise a ton.	The dues are payable on each entry into the port.
		Coasting Vessels:	
		(c) In the case of coasting ship or steamer calling at Port of New Mangalore not exceeding One Rupee and fifty paise a ton.	The payment of the dues at the Port will exempt the ship or steamer for a period of thirty days from liability to pay the dues again at that Port.
		(d) Tugs, Launches, Inspection launches etc. not included above not exceeding one Rupee and fifty paise a ton.	The dues are payable once in sixty days.";

(b) under the heading "Explanations to Part II of the First Schedule", in *Explanation 1*, in clause (bb) after the word "Vishakhapatnam", wherever it occurs, the words, "New Mangalore" shall be inserted.

[No. PGR-14/74-I]

सा० का० नि० 450 (अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

(क) "पश्चिमी समूह" शीर्षक के अधीन दक्षिण कनारा जिले से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान पर शुल्क कितनी बार प्रभार्य है
1	2	3	4
जिला दक्षिण कनारा	पत्तन नव मंगलौर	पन्द्रह टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान	**विदेशी जलयान** (क) नव मंगलौर पत्तन पर आने वाले जल इमरुमध्य उपनिवेशों या श्रीलंका के साथ व्यवसायरत विदेशी पोत या स्टीमर की दशा में, अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसे प्रति टन।	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने पर पोत या स्टीमर से उस पत्तन पर पुन: तीस दिन तक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

1	2	3	4
	(ख) नव मंगलौर पत्तन पर आने वाले किसी अन्य विदेशी पोत या स्टीमर की दशा में, अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसे प्रति टन ।	पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेश पर शुल्क देय है ।	
	तटवर्ती जलयान		
	(ग) नव मंगलौर पत्तन पर आने वाले तटवर्ती पोत या स्टीमर की दशा में अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसे प्रतिटन ।	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने पर पोत से पत्तन पर 30 दिन तक पुनः शुल्क नहीं लिया जाएगा ।	
	(घ) नव मंगलौर पत्तन पर आने वाले तटवर्ती स्टीमर की दशा में, अधिक से अधिक 1 रुपया 50 पैसे प्रतिटन ।	शुल्क तीस दिन में एक बार देय है ।	
	(ङ) कर्षनावों (टग), लांचों, निरीक्षण लांचों आदि की दशा में जिन्हें ऊपर सम्मिलित नहीं किया गया है, अधिक से अधिक एक रुपया पचास पैसे प्रति टन ।	शुल्क साठ दिन में एक बार देय है" ।	

(ख) स्पष्टीकरण में

(ख) "प्रथम अनुसूची के भाग 2 के स्पष्टीकरण" शीर्षक के अंतर्गत, स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ख) में, "विशाखापत्तनम" शब्द के पश्चात्, "नव मंगलौर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० पी० जी० आर०-14/74-I]

G.S.R. 451(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of 60 days from the date of publication of this order in the Official Gazette, Port Dues, shall be levied, on vessels entering the Port of New Mangalore and described in the first column of the Schedule below, at the rates specified in the econd column thereof and for the duration fixed in the third column of the said schedule.

SCHEDULE

Vessels chargeable	Rates of Port dues	Due how often chargeable in respect of same vessel.
(1)	(2)	(3)
Sea going vessels of 15 tons and upwards.		
I. *Foreign vessels*:		
(a) Vessels engaged in trade with the straits settlements or Ceylon.		
(i) Ships	Re. 0.90 (Paise ninety) per ton.	Once in thirty days.
(ii) Steamers	Rs. 1.50 (Rupees one and alse fifty) per ton.	Once in thirty days.
(b) Other vessels: Ships or Steamers	Rs. 1·50 (Rupees one and paise fifty) per ton.	One each entry.
II. *Coasting Vessels*: Ships or Steamers	Re. 0·90 (Paise ninety) per ton.	Once in thirty days.
III. *Tugs, Launches, Inspection Launches etc. not included in I and II above*	Re. 0.50 (Paise fifty) per ton.	Once in sixty days.

Exceptions :—

(a) Vessel entering the Port of New Mangalore in ballast and not carrying passengers shall be charged with the port dues at three-fourth of the port dues.

(b) Vessels entering the Port of New Mangalore but not discharging or taking in any cargo or passenger (for purpose of repair) shall be charged with half of the port dues.

[No. PGR-14/74-II]
K. SIVARAJ, Jt. Secy.

सा० का० नि० 451(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 13) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के ठीक अगले दिन से नव मंगलौर पत्तन में प्रविष्ट होने वाले तथा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित जलयानों पर, उसके स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में नियम समयों पर, पत्तन शुल्क उद्गृहीत होगी, अर्थात् :—

अनुसूची

प्रभार्य जलयान (15 टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान)	प्रति टन पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलायान पर शुल्क कितनी बार प्रभार्य है
1	2	3
1. **विदेशी** जलयान :	रु० पैसे	
(क) खाड़ी की बस्तियों या लंका के साथ व्यापार में लगे जलायान		
(i) पोत	0.90	तीस दिन में एक बार
(ii) स्टीमर	1.50	

1	2	3
(ख) अन्य जलयान :	रु पैसे	
(i) पौन या स्टीमर	1.50	हर बार प्रवेश पर
II तटवर्ती जलयान :		
(i) पौन या स्टीमर	0.90	तीस दिन में एक बार
III वर्ष नावें (टग), लांचें, निरीक्षण लांचें, आदि, जिन्हें ऊपर की मद i और ii में सम्मिलित नहीं किया गया है	0.50	साठ दिन में एक बार

अपवाद :

(क) नव मंगलौर पत्तन पर बैलास्ट सहित प्रवेश करने वाला और यात्री न ले जाने वाला जलयान पर उस दर के जो उस पर अन्यथा प्रभार्य होती, तीन चौथाई पत्तन शुल्क से प्रभारित किया जाएगा, और

(ख) जब कोई जलयान नव मंगलौर पत्तन में (सिर्फ मरम्मत के लिए) प्रवेश करता है, किन्तु वहां न कोई स्थोरा या यात्री उतारता या लादता है तो उस पर शुल्क का आधा प्रभार्य होगा ।

[सं० पी० जी० आर०-14/74-II]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975